निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 519) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

15 मई 2013

सं0 22/नि0सि0(सिवान0)–11–10/2010/584—श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल, गंडक योजना, मैरवा को कर्तव्य के निर्वहन में धोर लापरवाही बरतने, समय पर नहर टूटान की सूचना उच्चाधिकारियों को नही दिये जाने एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेशों का ससमय अनुपालन नहीं करने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0– 503 दिनांक 28.4.11 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1311 दिनांक 20.10.11 द्वारा निम्नलिखित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः–

(1) सारण नहर प्रमण्डल अन्तर्गत चॉदपुर वितरणी के वि0दू0 6.50 पर नहर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सारण नहर अंचल, सिवान को दी गयी। अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा कार्य के प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को क्षतितग्रस्त भाग की मरम्मति कराने हेतु दूरभाष पर निदेशित किया गया परन्तु इस संबंध में आपके स्तर से कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गयी। उच्चाधिकारियों के निदेश का अनुपालन नहीं करना किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित करना एवं नहर टूटान की सूचना नहीं देना कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का घोतक है जिसके लिये आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है।

(2) पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्वारा कार्य का सर्वेक्षण कार्य नहीं किये जाने के फलस्वरूप विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी0 पी0 आर0) तैयार नहीं किया जा सका जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है।

(3) बाढ़/सिंचाई अवधि में दिनांक 1.7.10 तक महालेखाकार कार्यालय से चेक ड्राइंग ऑथरिटी प्राप्त नहीं किया गया जो गंभीर आरोप है जिसके लिए आप दोषी है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया जिसमें मंतव्य दिया गया कि आरोप सं0–1 आरोपी पर प्रमाणित नहीं होता है। आरोप सं0–2 में यह प्रमाणित नहीं होता है कि डी0 पी0 आर0 तैयार नहीं किया गया। मात्र यह प्रमाणित होता है कि डी0 पी0 आर0 की तैयारी में विलम्ब किया गया है। आरोप सं0–3 के संदर्भ में आरोपी द्वारा स्वंय स्वीकार किया गया है कि चूँकि पूर्व में महालेखाकार, बिहार द्वारा जून तक बगैर किसी प्रयास के चेक ड्राइंग ऑथरिटी Cheque Drawing Authority भेज दिया जाता था अतः मार्च 2010 का लेखा बन्दी महालेखाकार बिहार, पटना को दिनांक 16.4.10 को समर्पित करने के बाद उन्होंने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देने

के बाद सीधें महालेखाकार से कोई पत्राचार नहीं किया गया। इसमें न तो कोई उनकी गलत मंशा है है, न ही उनके द्वारा कोई लापरवाही बरती गयी है। पूर्व के वर्षो के अनुभव के कारण ही आरोपी द्वारा चेक ड्राइंग ऑथरिटी आने का इंतजार किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन आरोपी के बचाव बयान एवं संबंधित अभिलेखों के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। निम्न तथ्य पाया गयाः–

आरोप सं0–1– आरोपित कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा आरोप सं0–1 के संदर्भ में कहा गया है कि चॉदपुर वितरणी के वि0दू0 6.50 पर दिनांक 30.6.01 को नहर टूटान की सूचना उसी दिन तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सारण नहर अंचल, सिवान को दूरभाष के माध्यम से दी गयी जिसका उल्लेख तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सारण नहर अंचल, सिवान के पत्रांक 799 दिनांक 2.7.10 में किया गया है साथ ही नहर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति दो दिनों के अन्दर कराते हुए दिनांक 2.7.10 को क्षमता के अनुरूप नहर में जलश्राव प्रवाहित करा दिया गया। उक्त बचाव बयान के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 799 दिनांक 2.7.10 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि नहर टूटान की सूचना उसी दिन आरोपी कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा उन्हें उपलब्ध करायी गयी। किन्तु आरोपित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये गेज प्रतिवेदन के अवलोकन से इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है कि नहर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति यथा शीध्र कराते हुए आवश्यकतानुसार जलश्राव प्रवाहित करते हुए सिंचाई सुविधा बहाल कर दी गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से आंशिक रूप से असहमत होते हुए आरोपित कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व नहर टूटान की सूचना नहीं देने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं0–2– आरोपित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा आरोप सं0–2 के बचाव बयान के मुख्य रूप से कहा गया है कि करीब 500 से अधिक पन्नों का डी0 पी0 आर0 कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया जिसमें कई अशुद्व आकड़े एवं वाक्य छप जाने के कारण उन्हें बार बार पढ़ पर शुद्व करना पड़ा जिसके कारण विलम्ब हुआ।

आरोपित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का डी0 पी0 आर0 इनके द्वारा ही विलम्ब से तैयार किया गया। अतः डी0 पी0 आर0 तैयार नहीं करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। परन्तु अप्रत्याशित विलम्ब के लिए आरोपी कार्यपालक अभियन्ता श्री सुनिल कुमार के विरूद्व संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए आरोप सं0–2 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं0–3– आरोपित कार्यपालक अभियन्ता के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोपित अभियन्ता द्वारा विधिवत लेखा का समर्पण महालेखाकार कार्यालय में किया गया तथा चेक ड्राइंग ऑथरिटी (सी0 डी0 ए0)से संबंधित पत्र निर्गत होने का इन्तजार किया गया। वर्णित स्थिति में आरोप सं0–3 प्रमाणित नहीं पाया गया।

समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1412 दिनांक 21.12.12 द्वारा श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियन्ता निलंबित से संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति होते हुए निम्नांकित असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः–

1. नहर टूटान की सूचना स समय नहीं देने तथा
2. डी0 पी0 आर0 तैयारी में अप्रत्याशित विलम्ब होना।

श्री कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, निलंबित द्वारा प्राप्त कराये गये द्वितीय कारण पृच्छा एवं संबंधित अभिलेखों के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियन्ता निलंबित द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में अपने बचाव बयान में किया गया था। इनके द्वारा अपने जबाव में कोई नया तथ्य या आधार का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर श्री कुमार को दोषमुक्त किया जा सकें।

वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल, मैरवा सम्प्रति निलंबित के विरूद्व नहर टूटान की सूचना स समय नहीं देने एवं डी0 पी0 आर0 तैयारी में अप्रत्याशित विलम्ब करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री सुनील कुमार निलंबित कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः–

1. निन्दन वर्ष 2010–11
2. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होता परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल, मैरवा सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

1. निन्दन वर्ष 2010–11
2. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होता परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त आदेश श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियन्ता निलंबित को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 519-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in